

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाॉटरशेड विकास  
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन  
एलिडको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को सूचीकरण करने हेतु

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति"  
(Expression of Interest)

नियम एवं विवरण

मूल्य रू0 5000/-  
(रू0 पाँच हजार मात्र)

## तकनीकी प्रस्ताव

1. अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाली फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि सूचनाओं को एक सूची (Index) में प्रस्तुत करेगी, जिसमें पृष्ठ संख्या एवं विवरण होगा।
2. फर्म/कम्पनी का नाम।
3. पंजीकरण की तिथि एवं साझेदारों की संख्या।
4. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नम्बर।
5. धरोहर धनराशि का विवरण।
6. फर्म/कम्पनी को प्रमाणित करना होगा कि फर्म/कम्पनी को किसी सरकारी विभाग/निगम/संस्था या अन्य द्वारा कालीसूची में नहीं डाला गया है।
7. फर्म भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुमोदित पैनल में पंजीकृत होना चाहिए।
8. फर्म को लेखा परीक्षा के कार्य का 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
9. फर्म के कम से कम 03 एफ.सी.ए. पार्टनर हो।
10. फर्म का गत तीन वर्षों (वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) का औसत टर्न ओवर कम से कम रू0 100.00 लाख होना चाहिए।
11. फर्म द्वारा 01.01.2015 को इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया से जारी संवैधानिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. फर्म के पास उ0प्र0संस्कार के किसी विभाग का राज्य स्तरीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।
13. ई0ओ0आई0 के साथ फर्म को रू0 01.00 लाख का डी.डी. धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा EOI स्वीकृति के उपरान्त यह धनराशि जमानत के रूप में मानी जायेगी।
14. अधूरे/अस्पष्ट EOI को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन में निहित होगा।
15. समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) भारत सरकार की वेबसाइट <http://dolr.nic.in> पर उपलब्ध है।
16. इच्छुक फर्म प्रार्थना पत्र में पूर्ण पता दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित)/ई-मेल एड्रेस/मोबाइल संख्या अवश्य अंकित कर प्रेषित करें, ताकि परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया जा सके।
17. किसी भी फर्म/कम्पनी को पैनल हेतु चयन, कार्य आवंटन करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन Arbitrator होंगे एवं सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

## वित्तीय प्रस्ताव

अ- अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाली फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि विभाग की निम्न दरों पर कार्य करने की रूचि रखती हों

1. डब्ल्यू.सी. का ऑडिट करने हेतु रू0 750.00 + शासकीय कर प्रति डब्ल्यू.सी. देय होगी वित्तीय वर्ष के दौरान डब्ल्यू.सी. में ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई लेन-देन न होने की स्थिति में सी.ए. द्वारा उसकी बैलेंशशीट एवं बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करना होगा, परन्तु विभाग द्वारा ब्याज के अतिरिक्त कोई लेनदेन न होने की स्थिति में उक्त डब्ल्यू.सी. की कोई फीस देय नहीं होगी।
2. पी.आई.ए. के ऑडिट हेतु रू0 3000.00 + शासकीय कर प्रति परियोजना
3. डब्ल्यू.सी.डी.सी. के ऑडिट हेतु रू0 2000.00 + शासकीय कर प्रति जनपद
4. एस.एल.डी.सी. के ऑडिट, बैंक रिकॉन्सलेशन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र/प्रोविजनल प्रमाण-पत्र तैयार किये जाने आदि हेतु रू0 50000.00 + शासकीय कर।
5. एस.एल.डी.सी. स्तर पर ऑडिट रिपोर्ट के संकलन बैंक रिकॉन्सलेशन, बैलेंशशीट आदि तैयार करने हेतु रू0 500.00 प्रति परियोजना + शासकीय कर।
6. बैलेंशशीट के साथ ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जिन परियोजनाओं में केवल ब्याज की प्रविष्टि होगी उन परियोजनाओं हेतु कोई फीस संकलन एवं ऑडिट हेतु देय नहीं होगी।

ब-

1. फर्म/कम्पनी को प्रमाणित करना होगा कि फर्म/कम्पनी पर शासकीय बकाया नहीं है।
2. फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर एवं सेवाकर का समय से भुगतान किया जा रहा है।



## प्रपत्र

1. इस प्रपत्र का मूल्य रू0 5000.00 (पाँच हजार मात्र) है यह धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी। धनराशि को नगद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। चेक को स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रपत्र को डाउनलोड करने पर भी रू0 5000.00 की धनराशि नगद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।
2. संलग्न सभी प्रपत्रों पर फर्म/कम्पनी के साझीदार के हस्ताक्षर अनिवार्य है। प्रपत्रों पर क्रमांक अवश्य पड़ा होना चाहिए गलत क्रमांक या त्रुटिपूर्ण होने पर विभाग का दायित्व नहीं होगा।

क्र.सं.	प्रपत्र का विवरण	पृष्ठ सं०
तकनीकी प्रस्ताव		
अन्य विवरण		